

असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2244]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 10, 2019/आषाढ़ 19, 1941

No. 22441

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 10, 2019/ASHADHA 19, 1941

# गृह मंत्रालय अधिसूचना

### नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2019

का.आ. 2469(अ).—जबिक सिख्स फाँर जिस्टिस (इसके पश्चात एसएफजे के रूप में उल्लिखित) ऐसी गतिविधियों में शामिल है, जो भारत की आंतरिक सुरक्षा और लोक व्यवस्था के लिए हानिकारक हैं और जिसमें देश की शांति, एकता और अखण्डता को भंग करने की क्षमता है।

और जबिक, केन्द्र सरकार का यह मत है कि एसएफजे ऐसी गतिविधियों में शामिल है, जो देश की अखण्डता और सुरक्षा के लिए हानिकारक हैं।

और जबिक, केन्द्र सरकार का यह मत है कि एसएफजे निम्नलिखित ऐसी श्रृंखलाबद्ध विधिविरुद्ध गतिविधियों में शामिल हैं, जो विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा (2) की उप-धारा (1) के खण्ड (ण) तथा (त) के अंतर्गत आते हैं, कि:-

- (i) एसएफजे भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को भंग करने के उद्देश्य से पंजाव और अन्य जगहों पर राष्ट्र-विरोधी और विध्वंसक गतिविधियों में शामिल है;
- (ii) एसएफजे उग्रवादी संगठनों और कार्यकर्ताओं के निकट संपर्क में है और भारत संघ क्षेत्र से संप्रभु खालिस्तान को अलग करने के लिए पंजाब और अन्य जगहों पर उग्रवाद से जुड़ी हिंसा और आतंकवाद का समर्थन कर रहा है;
- (iii) एसएफजे भारत संघ से भारतीय क्षेत्र के एक हिस्से को अलग करने की गतिविधियों को प्रोत्साहित कर रहा है और उसमें सहायता प्रदान कर रहा है और भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखण्डता को भंग करने के इरादे से भारत तथा अन्य जगहों पर इस उद्देश्य के लिए लड़ने वाले अलगाववादी समूहों की सहायता कर रहा है;

और जबिक, केन्द्र सरकार का यह भी मत है कि यदि एसएफजे की गैरकानूनी गतिविधियों को तुरंत रोका और नियंत्रित नहीं किया गया तो, यह संभावना है कि-

- (क) विधि द्वारा स्थापित सरकार को अस्थिर करके, भारत संघ के क्षेत्र से खालिस्तान राष्ट्र को अलग करने के प्रयासों सहित अपनी विध्वंसक गतिविधियों को बढ़ावा देगा;
- (ख) संघ के साथ राज्य के विलय के संबंध में विवाद उत्पन्न करते हुए भारत संघ से खालिस्तान को अलग करने की वकालत करना जारी रखेगा;
- (ग) देश की क्षेत्रीय अखंडता और सुरक्षा के विरूद्ध राष्ट्र-विरोधी और अलगाववादी भावनाओं का प्रचार करेगा;
- (घ) देश में अलगाववादी आंदोलनों को बढ़ाएगा, उग्रवाद का समर्थन करेगा और हिंसा को उकसाता रहेगा।

और जबकि, केन्द्र सरकार का यह भी मत है कि एसएफजे की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि एसएफजे को तत्काल प्रभाव से एक विधिविरुद्ध संगम घोषित किया जाए।

अत:, अब विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उप-धारा (1) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार सिख्स फॉर जस्टिस (एस.एफ.जे.) को विधिविरुद्ध संगम घोषित करती है और यह निदेश देती है कि यह अधिसूचना, उक्त अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत किए गए किसी भी आदेश के अध्यधीन, सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के लिए प्रभावी होगी।

[फा. सं. 17014/18/2019-आईएस-VII] एस. सी. एल. दास, संयुक्त सचिव

# MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 10th July, 2019

S.O. 2469(E).—Whereas the Sikhs For Justice (hereinafter referred to as the SFJ), has been indulging in activities, which are prejudicial to internal security of India and public order, and have the potential of disrupting peace, the unity and integrity of the country;

And Whereas, the Central Government is of the opinion that the SFJ is indulging in the activities which are prejudicial to the integrity and security of the country;

And Whereas, the Central Government is of the opinion that following unlawful activities indulged by the SFJ falls within the meaning of clauses (o) and (p) of sub-section (1) of section 2 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, namely:-

- (i) SFJ is involved in anti-national and subversive activities in Punjab and elsewhere, intended to disrupt the sovereignty and territorial integrity of India;
- (ii) SFJ is in close touch with the militant outfits and activists, and is supporting violent form of extremism and militancy in Punjab and elsewhere to carve out a sovereign Khalistan out of territory of Union of India;
- (iii) SFJ is encouraging and aiding the activities for secession of a part of the Indian territory from the Union of India and supporting separatist groups fighting for this purpose in India and elsewhere by indulging in activities and articulations intended to disrupt the sovereignty and territorial integrity of India;

And Whereas, the Central Government is further of the opinion that if the unlawful activities of the SFJ are not curbed and controlled immediately, it is likely to-

- (a) escalate its subversive activities including attempts to carve out Khalistan Nation out of the territory of Union of India by destabilising the Government established by law;
- (b) continue advocating the secession of the Khalistan from the Union of India while disputing the accession of State with the Union;
- (c) propagate anti-national and separatist sentiments prejudicial to the territorial integrity and security of the country;
- (d) escalate secessionist movements, supports militancy and incite violence in the country;

And Whereas, the Central Government is also of the opinion that having regard to the activities of the SFJ, it is necessary to declare the SFJ to be an unlawful association with the immediate effect;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the Sikhs For Justice (SFJ) as an unlawful association and directs that this notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect for a period of five years from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 17014/18/2019-IS.VII]

S. C. L. DAS, Jt. Secy.